न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 72/2022

1. बलदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख साकिन अमरपुरा राठान

2. पवनपविन्द्र पुत्र सम्पूर्ण सिंह तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बलकरण सिंह	पिसरान	जाति कुम्हार
2. चन्द्रपाल सिंह	हरबंस सिंह	साकिन रतनपुरा ढ़ाणी
3. वीरपाल कौर	पुत्रीयां	तहसील पीलीबंगा
4. बलविन्द्र कौर	हरबंस सिंह	जिला हनुमानगढ़

5. मनजीत कौर पत्नी हरबंस सिंह राजस्थान।

6. हनुमानगढ़ सहकारी भूमि लि. शाखा हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ——अप्रार्थी संख्या 7

—:: निर्णय :—

दिनांक:— 30/06/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के पिता व पति हरबंस सिंह पुत्र हरचन्द सिंह के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 21 पीबीएन के खाता सं. 252/55 के प.नं. 1/332 (115) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्. अनकमांड खातेदारी में 2109/6325 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि हरबंस सिंह पुत्र हरचन्द सिंह का स्वर्गवास दिनांक 29.05.2021 को हो चुका है जिसके वारीस अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 है। यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के पिता व पति हरबस सिंह पुत्र हरचन्द सिंह ने अपनी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 21 पीबीएन के खाता सं. 252/55 के प.नं. 1/332 (115) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्. अनकमांड खातेदारी में अपने 1/3 हिस्सा अर्थात 2109/6325 हिस्सा में से 0.188 है. को जरिये बैयनामा दिनांक 14.02.2017 को प्रार्थीगण को बेचान कर दी थी जिसका बैयनामा दिनांक 14.02.2017 को श्रीमान उप पंजीयक महोदय पीलीबंगा के यहां पंजीयनशुदा है। बैयनामा करवाते समय प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पति व पिता हरबंस सिंह ने वादीगण को यह आश्वासन दिया कि उक्त रकबा प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में रहन है अब थोड़े दिन में रहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

अदा कर न्योडयूज लाकर देने के लिये पाबन्द रहूंगा। बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में से हरबंस सिंह पुत्र हरचन्द सिंह ने अपने हिस्सा में से 0.188 हैक्. भूमि पर बैयनामा के समय से ही शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु हरबंस सिंह के द्वारा बैंक ऋण अदा न करने के कारण वादीगण द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज न होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है व आपस में मिले हुए है। अप्रार्थीगण अब हरबंस सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बैय अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमाद है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 21 पीबीएन के खाता सं. 252/55 के प.नं. 1/332 (115) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. अनकमांड खातेदारी में 2109/6325 हिस्सा कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई जिसपर दिनांक 24.03.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को जरिये रजिस्टर एडी तलब किया गया बाद तामिल नोटिस प्राप्त होने पर हाजिर नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 6 फोर्मल पक्षकार है अप्रार्थी संख्या 7 स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि कब्जा हमारे पास है ता फैसला स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। बहस पर भलीभाति मनन किया गया। पत्रावली व पेशा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से रोका नहीं जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

यह आदेशा आज दिनांक 30/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested